

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं  
पीठासीन अधिकारी :: सतीश कुमार(नायब तहसीलदार)  
मिसल नं. :: 61/2020  
सरकार बनाम सुरेन्द्र पुत्र सुरजाराम, जाति-जाट,  
निवासी-पन्नेसिंहपुरा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 12.10.2020

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल स्वयं अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से उसकी पत्नी विनोद देवी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सुरेन्द्र पुत्र सुरजाराम जाति-जाट, निवासी-पन्नेसिंहपुरा द्वारा रोही मौजा पन्नेसिंहपुरा की भूमि ख.नं. 159/7 के कुल रकबा 6.29 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.01 है० भूमि पर चार दीवारी बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से जवाब नोटिस पेश किया कि वह उक्त भूमि में कई वर्षों से आबाद है। अन्य कोई साक्ष्य/ सबूत पेश नहीं किया। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सं० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं० 22 पर  
वर्ष 2020-21 में रूपये 5/- कायम कि।  
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)  
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़